राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज –।। : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
www.delhijalboard.nic.in

क्रमांक: दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1428 / 2015 / 5 12587 दिनांक: 03.11.2015

संयुक्त निदेशक (राजस्व)उ0 / उ0प0

श्रीमती वैजन्ती देवी,
सी–1 / 9–ए,
यमुना विहार,
दिल्ली–110053.

आदेश

इस आदेश द्वारा श्रीमती वैजन्ती देवी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 17–08–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 03.11.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्रीमती वैजन्ती देवी उपस्थित नहीं हुईं एवं श्री वसी उल्लाह, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0पू0)–।।, यमुना विहार, जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुए ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 08.07.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर उचित कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 17.08.2015 को दायर की ।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारीं ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दे दिया है एवं अपीलकर्ता दिए गए जवाब से सन्तुष्ट हैं इसी कारण वे अपील के लिए उपस्थित नहीं हुईं । सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारीं को निर्देश दिया जाता है कि इस सम्बन्ध में अपीलकर्ता से लिखित रूप में सहमति लेकर फाईल में लगाएं ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

ह0 / –
निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमती वैजन्ती देवी, सी–1 / 9–ए, यमुना विहार, दिल्ली–110053.
2. संयुक्त निदेशक (राजस्व) उ0 / उ0प0 DDR WINE
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0पू0)–।।, यमुना विहार ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

5682
5/11/15